LSTV
लोक सभा
THE HINDU
Times of India
ध्येयIAS
most trusted since 2003
Daily News Scan
(DNS)
The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE
RSTV
RAJYA SABHA
ET
जागरण

most trusted since 2003

Address: Plot No. A-12,13, Flat No. 201, 2nd Floor, Ansal Building, Mukherjee Nagar, New Delhi, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26, 9205274741/42, 011-49274400

दल-बदल कानून
(What is Anti-Defection Law?)

हाल ही में महाराष्ट्र में हो रहे राजनैतिक उठा-पटक में कई सारे मुद्दे प्रकाश में ला दिये है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम अपने DNS के कार्यक्रम में Anti-Defection Law के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।

Anti-Defection Law यानि दल-बदल कानून सम्बन्धी प्रावधान भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में दी गई है जिसके आधार पर चुने हुए सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

- गैरतलब है कि यह कानून मूल संविधान में नही था बल्कि इस 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सन् 1985 में 52वें संविधान संशोधन डाला गया। यह कानून उन चुने हुए सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है जो चुने जाने के बाद किसी अन्य राजनैतिक दल को शामिल हो जाते हैं या किसी एक दल में होते हुए किसी अन्य दल के लिए संसद में मतदान करते हैं।
- गौरतलब है कि इस प्रावधान का मुख्य लक्ष्य राजनैतिक दल-बदल को रोककर संविधान के मूल्यों का संरक्षण करना है।
- इसी परिप्रेक्ष्य में आइये जानते हैं दल-बदल कानून के अनुसार पर अयोग्यता के आधार-

ऐसे किसी सदस्य को जोकि-

1. यदि चुना हुआ सदस्य स्वयं चुनने के बाद अपनी राजनैतिक दल की सदस्यता त्याग दें।
2. यदि व्हिप जारी होने के पश्चात् भी कोई सदस्य अपनी पार्टी के विरूद्ध जाकर किसी अन्य दल के लिए संसद में मतदान करें।
3. यदि व्हिप जारी होने के पश्चात् भी कोई सदस्य मतदान न करें।

इसके अलावा यदि उपरोक्त लिखित कृत्यों को उसके राजनैतिक दल या किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा 15 दिनों में गलत ठहराया जाना या अवैध ठहराया जाना अनिवार्य है।

इसी सम्बन्ध में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाना अनिवार्य है।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-102(2) एवं अनुच्छेद-191(2) दल-बदल के लिए प्रावधान करता है।
2. इन प्रावधानों का मुख्य लक्ष्य संसद में भ्रष्टाचार या Horse-trading को रोकना व ''आया-राम-गया-राम'' की प्रथा को रोकना है।
3. ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन प्रावधानों के द्वारा सरकार व राजनैथ्तक स्थायित्व को बरकरार रखा जाता है।
4. यह कानून सांसदों व विधायकों को चुनाव के पश्चात् दलों को बदलने व व्हिप का उल्लंघन करने से रोकते हैं।
5. यह कानून उन नामित यानि Nominated सदस्यों पर लागू होता है जो नामांकन के 6 माह के पश्चात् किसी राजनैतिक दल से जुड़ जाता है।
6. यह उन निर्दलीय सदस्यों पर भी लागू होता है जो चुने जाने के बाद किसी राजनैतिक दल से जुड़े जाते हैं।

Downloaded From: www.dhyeyaias.com

Address: Plot No. A-12,13, Flat No. 201, 2nd Floor, Ansal Building, Mukherjee Nagar, New Delhi, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26, 9205274741/42, 011-49274400

हालांकि दल-बदल कानून निम्न स्थितियों में लागू नहीं हो पाता है-

1. यदि कोई सदस्य पार्टी के दो धड़ों में बट जाये और वह सदस्य और उसका धड़ा या ैमबजपवद मूल सदस्यों की कुल संख्या का 2/3वाँ यानि दो तिहाई हो।

सरल शब्दों में कहा जाये तो यदि दो तिहाई सदस्य एक साथ किसी राजनैतिक दल से अलग हो जाये एवं किसी अन्य दल में डमतहम या समाहित हो जायें तो उन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होता।

- यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा डाला गया।
- इसी परिप्रेक्ष्य में स्पीकर यानि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी दल-बदल के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

- दल-बदल के संबंध में अयोग्य घोषित की जाने की समस्त शक्तियाँ केवल स्पीकर के पास ही है।
- दसवीं अनुसूची स्पष्ट रूप से स्पीकर को इसके द्वारा किसी सदस्य को योग्य घोषित किये जाने की शक्तियाँ देता है।
- न्यायपालिका को इस संबंध में प्रारम्भ में कोई शक्ति नहीं देती परन्तु इस कार्य की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

कुछ महत्त्वपूर्ण समितियों के सुझाव-

दल-बदल कानून के सन्दर्भ में पहली समिति-1990 में निदेश गोस्वामी समिति को माना जाता है जिन्होंने चुनाव सुधारों के साथ-साथ दल-बदल कानून को भी कुछ निम्न आधारों पर बेहतर करना चाहती थी जैसे-

1. अयोग्यता के मामले सिर्फ किसी सदस्य के स्वेच्छा से अपने राजनैतिक दल की सदस्यता त्यागने पर हो एवं यदि वह सदस्य अविश्वास प्रस्ताव यानि छव-ब्वदपिकमदबम डवजपवद के दौरान व्हिप जारी करने के पश्चात् भी दल के विरूद्ध मतदान करें। व
2. अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श के पश्चात किया जाये।

इसी संबंध में चुनाव आयोग ने यह प्रावधान किया कि चुनाव आयोग का ऐसा परामर्श राष्ट्रपति या राज्यपाल पर बाध्यकारी होगा।

इसके अलावा सन् 2002 में संविधान समीक्षा समिति यानि Constitution Review Commission ने यह प्रावधान किया कि दल-बदल के आरोप में अयोग्य घोषित व्यक्ति बचे हुए कार्यकाल के दौरान किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

DHYEYAIAS.COM

Downloaded From: www.dhyeyaias.com

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

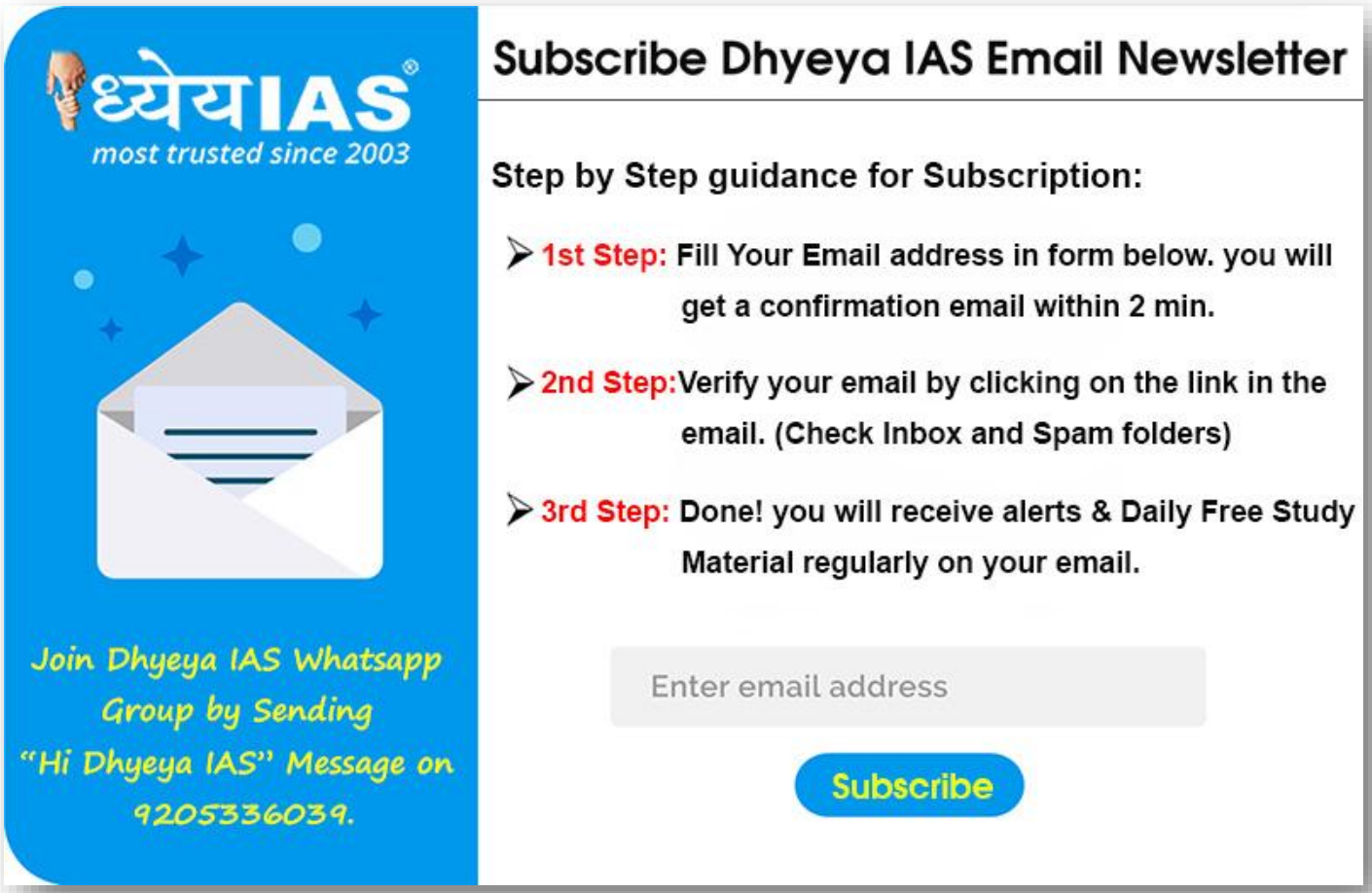

ध्येय IAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400